

आवश्यक सूचना

दिनांक 29 दिसम्बर-2020 (दिन मंगलवार) को पूर्वाह्न 11 बजे से साँय 05 बजे तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश द्वारा Video Conferencing के माध्यम से पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

राज्य सरकार के ऐसे पेंशन धारियों/पारिवारिक पेंशन धारियों की पेंशन का पुनरीक्षण इस कार्यालय द्वारा किया जा रहा है जिनका पेंशन भुगतान आदेश (P.P.O.) इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत किया गया है। उनकी पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 से तथा अन्य मामलों का समाधान पेंशन अदालत में किया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, अखिल भारतीय सेवाओं एवं राज्य सरकार के उन सभी पेंशन धारियों/पारिवारिक पेंशन धारियों तथा वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर रहे सभी पेंशन धारियों/पारिवारिक पेंशन धारियों जिनके पेंशन सम्बन्धी मामले लम्बित हैं को सूचित किया जाता है कि शिकायतों के समीक्षा एवं त्वरित निष्पादन हेतु Video Conferencing के माध्यम से पेंशन अदालत में सम्मिलित हो सकते हैं।

कार्यालय की वेबसाइट <https://cag.gov.in/ae/allahabad-ii/en> पर whats new ? पर लिंक उपलब्ध है।

Verma
24.12.2020
वरिष्ठ उप महालेखाकार/पेंशन एवं जी०ई०